कार्यालय प्रबन्धक रवीन्द्र मंच, जयपुर

रामनिवास बाग, जयपुर   दूरभाष नं0 2619061

:: संक्षिप्त परिचय ::

राजस्थान की राजधानी जयपुर में नृत्य, नाटक एवं संगीत कला के पोषण हेतु वर्ष 1963 में राज्य सरकार द्वारा रवीन्द्र मंच की स्थापना की गई । वर्तमान में रवीन्द्र मंच पर 710 सीट्स की क्षमता का अत्याधुनिक सुविधायुक्त सभा भवन, 3500 दर्शकों की क्षमता का एक ओपन एयर थियेटर एवं एक मिनी थियेटर 120 दर्शकों की क्षमता का पूर्णतया वातानुकूलित है । दिनांक 28.11.1985 से पूर्व रवीन्द्र मंच की व्यवस्था एवं प्रशासन पूर्णरूपेण राज्य सरकार के अधीन था । तत्पश्चात् सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देने हेतु रवीन्द्र मंच की व्यवस्था एवं प्रशासन सोसाइटी को हस्तान्तरित कर दी गई एवं स्वायत्तशाषी संस्थान के रूप में गठित कर दी गई है ।

मंच राज्य राजकीय विभागों, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम/सेमिनार एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । पूर्वभ्यास हेतु मंच पर 2 पूर्वाभ्यास कक्ष उपलब्ध है । रवीन्द्र मंच सोसाइटी द्वारा नृत्य, नाटक एवं संगीत के प्रस्तुतीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । साथ ही क्षेत्रीय एवं भारतीय संस्कृति की समृद्धि/प्रोत्साहन/संवर्द्धन हेतु विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

रवीन्द्र मंच पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां सम्पन्न होती है । राजस्थान राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों का रवीन्द्र मंच हृदय स्थल है । विगत 45 वर्षो से नृत्य, संगीत एवं नाट्य कलाओं को प्रोत्साहन देने में अह्म भूमिका निभाता आ रहा है । मंच प्रशासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं सहयोग के फलस्वरूप राज्य के सांस्कृतिक संगठन अपनी–अपनी कलाओं में प्रशंसित होते रहे हैं । इस मंच पर अभिनय जीवन का प्रथम चरण रखने वाले कलाकारा आज सिने जगत एवं अन्य क्षेत्रें में जाने माने कलाकार हैं जिन्होंने देश व प्रदेश का नाम गौरान्वित किया है । इन सब के पीछे यहां की मंचन सुविधा का प्रमुख हाथ है । राज्य सरकार के सहयोग से मंच सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने एवं कलाकारों और रंगकर्मियों को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु रवीन्द्र मंच सोसायटी निरन्तर प्रत्यनशील है।

::सोसाइटी के पदाधिकारियों की सूची ::

1.	प्रमुख शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा0नि0वि0 (भवन एवं पथ)	उपाध्यक्ष
3.	मैनेजर, रवीन्द्र मंच	सचिव
4.	विशिष्ठ शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
5.	उपशासन सचिव, वित्त□(व्यय–4) विभाग	सदस्य
6.	उपशासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग	सदस्य

7.	अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 नगर खण्ड–1	सदस्य
8.	सचिव, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर	सदस्य
9.	सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर	सदस्य
10	राज्य सरकार का मनोनीत 4 सदस्य	सदस्य

:: स्टाफ की स्थिति ::

रवीन्द्र मंच पर कुल 21 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं । राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यहां के व्यवस्थापक/सचिव होते हैं । मंत्रलयिक सेवा के चार कर्मचारी, एक मंच सहायक व चार तकनीकी कर्मचारी हैं एवं अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रबन्धक रवीन्द्र मंच, जयपुर

रामनिवास बाग, जयपुर   दूरभाष नं0 2619061

:: सुविधाएं ::

उद्घाटन	–	15 अगस्त, 1963 श्री हुमायु कबीर, केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री
क्षेत्रफल	–	21,364 वर्गमीटर
निर्मित क्षेत्र	–	10,000 वर्ग मीटर
मुख्य सभागार	–	एक (दर्शक क्षमता 710)
ओपन एयर थियेटर	–	एक (दर्शक क्षमता 3500)
मिनी थियेटर	–	एक (दर्शक क्षमता 120)
एयर कूलिंग प्लान्ट	–	एक
रिहर्सल हॉल	–	दो
ग्रीनरूम्स	–	छह
विशिष्ठ अतिथि कक्ष	–	एक
मैनेजर कक्ष	–	एक
कार्यालय कक्ष	–	दो

कार्यालय प्रबन्धक रवीन्द्र मंच, जयपुर

रामनिवास बाग, जयपुर   दूरभाष नं0 2619061

:: आरक्षण शुल्क ::

सभा भवन

प्रति चार घण्टे

क्र0स0	विवरण	दर	प्रायोजित	एयर कूलिग	अमानत राशि
1	सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा नाटक	1,000	2,500	1,000	1,000
2.	सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा सां0कार्यक्रम	4,000	6,000	1,500	1,500
3.	राजकीय विद्यालय द्वारा सां0कार्यक्रम	4,000	—	1,500	2,000
4.	निजी विद्यालय द्वारा सा0कार्य0 □(प्रातः 8.00 बजे से 4.00 बजे तक)	6,000	—	1,500	2,000
5.	निजी विद्यालय द्वारा सा0कार्य0 (सायं 4.00 से 10.00 बजे तक)	8,000	—	1,500	2,000
6.	1 से 5 से भिन्न संस्थाओं द्वारा नाटक	5,000	8,000	1,500	2,000
7.	1 से 5 से भिन्न संस्थाओं द्वारा सा0कार्य0 (इसमें समाजों द्वारा किये जाने वाला सम्मान समारोह भी शामिल है)	8,000	10,000	3,000	3,000
8.	मीटिंग, सेमिनार, सिम्पोजियम, व्यावसायिक कार्यक्रम (समस्त संस्थाओं हेतु जिसमें सम्बद्ध संस्था भी शामिल है)	15,000	18,000	3,000	6,000

मिनी थियेटर (वातानुकूलित)

क्र0सं0	विवरण	दर	अमानत राशि
1.	सम्बद्ध संस्थाओं हेतु नाटक	1,000	1,000
2.	असम्बद्ध संस्थाओं हेतु नाटक	1,500	1,500
3.	सम्बद्ध संस्थाओं हेतु सा0कार्य0	2,000	1,500
4.	गोष्ठि (काव्य व गैर व्यावसायिक)	2,500	1,500
5.	मीटिंग, सेमिनार एवं वाणिज्यिक कार्य0	5,000	2,000

ओपन एयर थियेटर

□क्र. सं0	विवरण	दर	अमानत राशि
1	सम्बद्ध रजिस्टर्ड सास्कृतिक संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम/नाटक	2,500	1,500
2.	अन्य संस्थाओं द्वारा सास्कृतिक कार्यक्रम/नाटक	5,000	1,500
3.	मीटिंग, सेमिनार, सिम्पोजियम एवं विशेष कार्यक्रम	15,000	3,000
4.	किसी भी प्रकार के प्रायोजित एवं	20,000	6,000

	वाणिज्यिक कार्यक्रम		
5.	डिनर स्पेस हेतु	5,000	

पूर्वाभ्यास कक्ष

आरक्षण दरे प्रति 3 घण्टे

क्र0सं0	विवरण	शुल्क
1	पूर्वाभ्यास कक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम	500
2.	पूर्वाभ्यास कक्ष में नाटक	250
3.	पूर्वाभ्यास कक्ष में मीटिंग एवं सेमिनार	2,500

पूर्वाभ्यास कक्ष

1.	1 घण्टे से 30 घण्टे तक नाटक हेतु	250
2.	1 घण्टे से 30 घण्टे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु	500
3.	1 घण्टे से 60 घण्टे तक नाटक हेतु	500
4.	1 घण्टे से 60 घण्टे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम	1,000

ऐसी संस्थाऐं जिनका कार्यक्रम रवीन्द्र मंच पर आरक्षित नहीं है परन्तु ऐसी संस्थाओं द्वारा आरक्षण करवाया जाता है इन्हें 10.00 से 4.00 बजे में मध्य ही आरक्षण दिया जाये । इनकी दरें निम्नानुसार होगी :—

1.	1 घण्टे से 30 घण्टे	1,500
2.	1 घण्टे से 60 घण्टे	3,000

स्टेज रिर्हसल

सभा भवन एवं ओपन एयर थियेटर में रिर्हसल (प्रति चार घण्टे) सम्बद्ध हेतु जिसमें विद्यालय भी सम्मिलित हैं :–

क्र0सं0	विवरण	सांस्कृतिक कार्यक्रम	नाटक
1.	बिना ध्वनि एवं प्रकाश	500	100 प्रति घंटा
2.	मय ध्वनि प्रकाश	1,200	200 प्रति घंटा

अन्य संस्थाओं द्वारा स्टेज रिर्हसल (प्रति 4 घण्टे)

1.	बिना ध्वनि एवं प्रकाश	800
2.	मय ध्वनि एवं प्रकाश	3,000

कार्यक्रम निरस्त कराने पर(समस्त हॉल्स हेतु)

1.	सात दिवस से पूर्व	40 :
2.	सात दिवस से कम पर	80 :
3	कार्यक्रम के दिवस	100 :

कार्यक्रम तिथि परिवर्तन/स्थगित करने (समस्त हॉल्स)

1.	15 दिवस से पूर्व	25 :
2.	15 दिवस से 7 दिवस के कम पर	40 :
3.	7 दिवस के कम पर	60 :

नोटः—

1. आरक्षण शुल्क पर 12.36 प्रतिशत सेवा कर अलग से देय होगा ।
2. प्रत्येक कार्यक्रम हेतु समय निर्धारित है । निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्यक्रम करने पर डबल चार्ज लिया जायेगा ।
3. सांस्कृतिक संस्थाएं यदि नाटक का आरक्षण करवाती हैं तो एयर कूलिंग प्लान्ट का आरक्षण ऐच्छिक होगा तथा अन्य सभी प्रकार के आरक्षण हेतु एयर कूलिंग प्लान्ट अनिवार्य होगा ।
4. एयर कूलिंग प्लान्ट का संचालन अप्रेल से सितम्बर तक होगा ।
5. राज्य सरकार से पूर्णतः अनुदान पर आधारित अकादमियों, राजकीय विद्यालयों (महा विद्यालय सम्मिलित नहीं है) द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर क्रमांक 1, 2 व 3 पर अंकित शुल्क लागू हैं ।
6. जिन संस्थाओं के मुख्य उद्‌देश्य संस्कृति के उत्थान पर आधारित हैं केवल उन्हीं संस्थाओं को क्रमांक 1 व 2 के अधीन छूट दी जायेगी ।

7. धार्मिक प्रवचन, साहित्य सम्मेलन एवं कवि सम्मेलन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्र्तगत मान्य होगें ।

8. कार्यक्रमों एवं उनकी दर के वर्गीकरण में यदि कोई विरोधाभाष हो तो व्यवस्थापपक का निर्णय अन्तिम होगा ।

9. सभा भवन को कवि सम्मेलन, फैशन शो के लिये नहीं दिया जायेगा ।

कार्यालय प्रबन्धक रवीन्द्र मंच, जयपुर

:: वित्तीय स्थिति ::

राजस्थान सरकार द्वारा नृत्य, नाटक एवं संगीत कला को प्रोत्साहित करने के लिये रवीन्द्र मंच सोसाइटी को शत प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है ।गत वर्षो में राज्य सरकार द्वारा रवीन्द्र मंच हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित करवाया गया :–

वर्ष	स्वीकृत बजट	मद
2006–07	23.00 लाख	आयोजना भिन्न मद (संवेतन)
	70.56 लाख	आयोजना मद (मंच नवीनीकरण हेतु)
2007–08	23.00 लाख	आयोजना भिन्न मद (संवेतन)
	20.01 लाख	अयोजना मद (मंच नवीनीकरण हेतु)
2008–09	23.00 लाख	आयोजना भिन्न मद (संवेतन)
	00.01 लाख	आयोजना मद

वर्ष 2006–07 में आयोजना मद में 70.55 लाख रूपये रवीन्द्र मंच के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया गया । रवीन्द्र मंच को नयी साज सज्जा के साथ कलाकारों एवं स्थानीय संस्थाओं को और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने एवं और अधिक सौंदर्यकरण किये जाने हेतु मंच का नवीनीकरण कार्य आवास विकास लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है जिसमें सभा की लाईट्स, साउण्ड, बोरिंग वेल, लेण्डस्केपिंग वर्क्स, मंच का एलिवेशन, स्टेज फर्नीचर, वाटर कूलर्स, ग्लो साईन बोर्ड, एयर कूलिंग प्लान्ट आदि का कार्य करवाया जा रहा है ।

:: सोसाइटी द्वारा वर्तमान में निम्न गतिविधियां संचालित की जा रही है ::

1 सांस्कृतिक संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान कर उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देना एवं रियायति दर पर स्टेज उपलब्ध करवाना ।

2. नाट्य/सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करना ।

3. सांस्कृतिक संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं का रियायति दर पर मंच का आरक्षण करना ।

4. रंगकर्मियों का कला एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार हेतु सहयोग देना ।

5. राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

6. नन्ही प्रतिभाओं में कला के प्रति जागरूता पैदा करने की दृष्टि से बाल अभिरूचि शिविरों का आयोजन करना ।